रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2018/ज्येष्ठ 11, 1940
No. 370] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2018/JYAISTHA 11, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2018

सा.का.नि. 518(अ).—केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1445 (अ), तारीख 24 मई, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में उनसे द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से, जब उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 24 नवंबर, 2017 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अत:, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान (आठवाँ संशोधन) नियम 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के खंड (य) में, —

(क) उपखंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(iv) वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए अनुज्ञेय अधिकतम कर्ब भार यात्रीयान की दशा में 475 कि.ग्रा. और मालयान की दशा में 550 कि.ग्रा. से अधिक नहीं होगा;

(ख) स्पष्टीकरण में ''कर्ब भार'' से आरंभ होने वाले और ''भार समाहित नहीं होता है'' से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर ''भार में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होगा,—

(क) इलैक्ट्रिक या हाइब्रिड यानों की दशा में बैटरी का द्रव्यमान,

(ख) एकल ईंधन, द्वि ईंधन या बहु-ईंधन यान की दशा में गैसीय ईंधन प्रणाली जिसके अंतर्गत गैसीय ईंधन भंडारण के लिए टैंक भी है का द्रव्यमान'' शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

3. मूल नियमों के नियम 95 के उपनियम(7) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(7) श्रेणी एल7, एम1 और एन1 यानों के लिए अतिरिक्त पहियां या टायर और रन फलैट टायर का अस्थाई उपयोग यदि यान के लिए उपयोग किए गए साधारण टायरों से भिन्न है तो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस निर्देश अधिसूचित किए जाने तक समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 110 : 2009 के अनुपालन में किया जाएगा।''

4. मूल नियमों के नियम 115 के उपनियम(17) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(17क) द्रव्यमान उत्सर्जन मानक : चौपहिया (एल 7) के लिए (भारत स्टेज IV), निम्न प्रकार होगा :-

सारणी 1

गैसोलीन या संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) या तरलीकृत पैट्रोलियम गैस (एलपीजी) वालें ईंजन

	टीए = सीओपी मानदंड			ईवीएपी(जी/टेस्ट)	ओबीडी
	सीओ(ग्रा./किमी)	एचसी(ग्रा./किमी)	एनओएक्स(ग्रा./किमी)		
सीमा	2.0	0.55	0.25	<=2.0	स्टेज 1
डीएफ	1.3	1.2	1.2		

सारणी 1 (संपीड़ित प्रज्वलन ईंजन से युक्त)

	टीए = सीओपी मानदंड				ओबीडी
	सीओ	एचसी	एनओ	पीएम	
	(ग्रा./किमी)				
सीमा	1.0	0.10	0.55	0.08	स्टेज 1
डीएफ	1.3	1.2	1.2	1.1	

चौपहिया उत्सर्जन नियंत्रण के लिए आन बोर्ड निदान प्रणाली (ओबीडी) से सुसज्जित होगी जो विनिर्मित यानों के लिए कंप्यूटर मेमोरी में भंडारित त्रुटि कूटों के माध्यम से खराबी का संभावित क्षेत्र पहचान करने की क्षमता रखेगा ।

सारणी 2

(ऑन बोर्ड निदान स्तर 1)

मानीटरी मद	सभी सकारात्मक प्रज्वलन यान	सभी संपीड़ित प्रज्वलन यान
आक्सीजन (ओ2)सेंसर		
गौण वायु प्रणाली, यदि उपलब्ध करायी गई हो		
इलैक्ट्रानिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली		
कूलेंट तापमान		
इ जी आर (एक्जास्ट गैस रिसर्कुलेशन) यदि उपलब्ध करायी गयी हो		
उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली/घटक(विस्तृत घटक)		
शक्ति ट्रेन घटक से संबंधित सभी उत्सर्जन के लिए परिपथ में निरंतरता		
एमआईएल (खराबी दर्शाने वाले लैंप) के जलने तक तय की गई दूरी		

टिप्पण – इस उपनियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि

(i) परीक्षण चेसिस डाइनामो मीटर पर किया जाएगा ;

(ii) परीक्षण प्रक्रिया और चालन चक्र एमओआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 के अनुसार होगें। ईसीई आर 40 को कोल्ड स्टार्ट के साथ 43 किमी/घंटा की अधिकतम गति के साथ संशोधित।

(क) संदर्भ द्रव्यमान : कर्ब भार +150 कि.ग्रा.;

(ख) परीक्षण चक्रों की संख्या : छह (6), अधिभार कारक के साथ प्रथम साइकिल :30 प्रतिशत; शेष : 70 प्रतिशत;

(ग) चक्र की खराबी : ईसीई आर 40 चक्र को 43 किमी/घंटा की अधिकतम गति के लिए उपांतरित। एमओआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 में संदर्भित।

(iii) टिकाऊपन के लिए उपरोक्त सारणी 1 के अनुसार क्षय संबंधी कारक लागू होगा ।

(क) परंतु यान विनिर्माता एमओआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 में यथाउपबंधित क्षय संबंधी कारक का मूल्यांकन करने के लिए 80000 कि.मी. पुराने होने के परीक्षण का विकल्प ले सकेंगे ।

(iv) (क) इसमें विनिर्दिष्ट गैसोलीन या सीएनजी या एलपीजी यान नियम 115 के उपनियम (2) के खंड (i) के उपबंधों के अनुपालन में होंगे;

(ख) इसमें विनिर्दिष्ट डीजल यान नियम 115 के उपनियम (2) के खंड (ii) के अनुपालन में होंगे;

(v)उत्पादन बारंबारता की अनुरुपता (सीओपी) और नमूना परीक्षण प्रक्रिया एमओआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 में यथाउपबंधित होगी

क्रम सं.	यान का प्रकार	वार्षिक उत्पादन/आयात		सीओपी बारंबारता
		से	तक	
1	2	3	4	5
1.	चौपहिया	250 प्रति छह माह	10000 प्रतिवर्ष	वर्ष में एक बार
2	चौपहिया	10000 प्रतिवर्ष	75000 प्रति छह माह	6 माह में एक बार
3	चौपहिया	75000 प्रति छह माह	--	3 माह में एक बार

जहां छह माह में उत्पादन मात्रा 250 प्रतिमाडल जिसके अंतर्गत उसके वेरियंट भी है से कम होती है तो नियम 126क में उपबंधित उपबंध लागू होंगे।

(vi) (क) संपीड़ित प्राकृतिक गैस मोड पर चालित यानों के लिए नियम 115ख के उपबंध लागू होंगे ।

(ख) तरलीकृत पैट्रोलियम गैस मोड पर चालित यानों के लिए नियम 115ग के उपबंध लागू होंगे ।

(vii) सदंर्भ/वाणिज्यिक ईंधन के लिए विनिर्देश :

(क) संदर्भ ईंधन गैसोलीन वाले यानों के लिए उपाबद्ध IV-ञ और डीजल ईंधन के साथ सुसज्जित यानों के लिए उपाबद्ध IV-ट में यथाविनिर्दिष्ट होगा और संपीड़ित प्राकृतिक गैस और तरलीकृत पैट्रोलियम गैस के लिए संदर्भ ईंधन व्यवसायिक रूप से उपलब्ध ईंधन होगा ;

(ख) वाणिज्यिक गैसोलीन और डीजल के लिए विनिर्देश उपाबद्ध IV-ढ और उपाबद्ध IV-ण में यथाविनिर्दिष्ट होंगे;

(ग) वाणज्यिक संपीड़ित प्राकृतिक गैस और तरलीकृत पैट्रोलियम गैस के लिए विनिर्देश समय-समय पर यथाअधिसूचित होंगे ;

(viii) गैसोलीन से चालित यान प्रणाली के लिए क्रैंक केस संवातन को वातावरण में किसी प्रकार की क्रैंक केस गैसों का उत्सर्जन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ix) गैसोलीन चालित यानों से उद्वाष्पित उत्सर्जन 2.0 ग्राम प्रति परीक्षण से अधिक नहीं होगा। परीक्षण प्रक्रिया एमओआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 में यथाविनिर्दिष्ट होगी ।

(x) संपीड़ित प्रज्जवलन ईंजन की दशा में ईंजन शक्ति, ईंजन डाइनामोमीटर पर मापी जाएगी और मापी गई शक्ति समय-समय पर यथासंशोधित एमओआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 के भाग 4 के अध्याय 1 में विनिर्दिष्ट शक्ति के अनुपालन में होगी । सकारात्मक प्रज्वलन ईंजन की दशा में, ईंजन शक्ति आईएस 14599 : 1999 के उपबंधों के अनुसरण में ईंजन डाइनामोमीटर पर मापी जाएगी।"।

5. मूल नियमों के नियम 138 के उपनियम (4) के खंड (क) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"एल 7 एम 1 और एन 1 श्रेणी के यानों की दशा में अस्थाई उपयोग के लिए अतिरिक्त पहिए का प्रयोग अनुज्ञात किया जाएगा और प्रयोग के लिए तैयार अतिरिक्त पहिए के उपबंध आज्ञापक नहीं होंगे यदि ऐसे यानों में मानक के अनुसार रन फलैट लगे हों।

[फा.सं. आरटी–11028/09/2013–एमवीएल]
अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. का.आ. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. 490(अ) तारीख 24 मई, 2018 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2018

G.S.R. 518(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988)*vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways *vide* number G.S.R 1445 (E) dated the 24th day of November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 24th November, 2017

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Eighth Amendment) Rules, 2018.

(2)These rules shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred to as the principal rules), in rule 2, in clause (z),:-

(a) for sub-clause (iv), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(iv) Maximum permissible kerb weight for the purpose of classification shall not exceed 475 kg in case of passenger vehicle and 550 kg in case of goods vehicle;

(b) in the Explanation, for the words starting with "kerb weight" and ending with "hybrid vehicles", the words and letter"

"the weight shall not include,-

(a) Mass of batteries in the case of electric or hybrid vehicles,

(b) Mass of gaseous fuel system including tanks for gaseous fuel storage in the case of mono-fuel, bi-fuel or multi-fuel vehicle" shall be substituted.

3. In rule 95 of the principal rules, for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(7) Temporary use spare wheel or tyre and Run Flat Tyre for vehicles of categories L7, M1 and N1, if they are different from the normal tyre used on the vehicle shall conform to AIS 110:2009, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).".

4. In rule 115of the principal rules, after the sub rule (17), the following sub-rule shall be inserted namely:-

"(17A)Mass emission standards:(Bharat Stage IV) for quadricycle (L7), shall be as under:-

Table 1

[fitted with gasoline or compressed natural Gas (CNG) or Liquefied Petroleum Gas (LPG) engine]

	TA=COP norms			EVAP (g/test)	OBD
	CO(g/km)	HC(g/km)	NO_X(g/km)		
Limit	2.0	0.55	0.25	< = 2.0	Stage I
DF	1.3	1.2	1.2	-	-

Table 1 (fitted with compression ignition engine)

	TA=COP norms				OBD
	CO	HC	NO_X	PM	
	(g/km)				
Limit	1.0	0.10	0.55	0.08	Stage I
DF	1.3	1.2	1.2	1.1	-

Quadricycle shall be equipped with On Board Diagnostic (OBD) systems for emission control which shall have the capability of identifying the likely area of malfunction by means of fault codes stored in computer memory for vehicles manufactured.

Table 2

[On-Board Diagnostic-Stage 1]

Monitoring Items	All Positive ignition vehicles	All Compression ignition vehicles
Oxygen (O_2) sensor	√	-
Secondary Air System, if provided	√	-
Electronic fuel injection system	-	√
Coolant temperature	√	√
EGR,(Exhaust Gas Recirculation), if provided	√	√
Emission Control systems / components (Comprehensive Components)	√	√

Circuit continuity for all emission related power train components	√	√
Distance travelled since MIL (Malfunction Indicator Lamp) ON	√	√

Notes - For the purposes of this sub-rule, it is clarified that,-

(i) The test shall be on Chassis Dynamometer;

(ii) The test procedure and driving cycle shall be as per the MoRTH/CMVR/TAP-115/116. Modified ECE R 40 with maximum speed to 43 km per hour with cold start.

(a) Reference mass : kerb weight + 150 kg;
(b) Number of test cycles: Six (6), with weightage factors firstcycle: 30%; remaining: 70%0;
(c) Breakdown of cycle: ECE R40 cycle modified for the maximum speed of 43km/hr. Referred to in the MoRTH/CMVR/TAP-115/116;

(iii) A deterioration factor shall be applicable as per Table 1 above for durability.
(a) Provided that the vehicle manufacturer may opt for an ageing test of 80000 kms for evaluation deterioration factor, as provided in MoRTH/CMVR/TAP-115/116;

(iv) (a) Gasoline or CNG or LPG vehicles specified herein shall comply with the provisions of clause (i) of sub-rule (2) of rule 115;
(b)Diesel vehicles specified herein shall comply with clause (ii) of sub-rule (2) of rule 115;

(v) Conformity of Production (COP) frequency and sampling test procedure shall be as provided in the MoRTH/CMVR/TAP-115/116.

Sl. No.	Type of vehicle	Annual production / import		COP frequency
		Exceeding	upto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Quadricycle	250 per 6 months	10000 per year	Once every year
2.	Quadricycle	10000per year	75000 per 6 months	Once every 6 months
3.	Quadricycle	75000 per 6 months	---	Once every 3 months

Where the production volume in six months is less than 250 per model including its variants, the provisions contained in the provisos to rule 126A shall apply.

(vi) (a) For vehicles operating on compressed natural gas mode, the provisions of rule 115Bshall be applicable;

(b) For vehicles operating on liquefied petroleum gas mode, the provisions of rule 115Cshall be applicable;

(vii) Specification of Reference / Commercial Fuels:
(a) The reference fuel shall be as specified in Annexure IV-J for vehicles equipped with gasoline and Annexure IV-K for vehicles equipped with diesel engines and reference fuel for compressed natural gas and liquefied petroleum gas shall be as available commercially;

(b) The specification of commercial gasoline and diesel shall be as specified in Annexure IV-N and Annexure IV-O;

(c) Specification for commercial compressed natural gas and liquefied petroleum gas shall be as notified from time to time;

(viii) Crank case ventilation for gasoline driven vehicles system shall not permit the emission of any of the crank case gases into the atmosphere;

(ix) Evaporative emission shall not be more than 2.0g/test from Gasoline driven vehicles. The test procedure shall be as specified in the MoRTH/CMVR/TAP-115/116;

(x) In case of compression ignition engine,engine power shall be measured on engine dynamometer and the measured power shall conform to the power specified in Chapter 1 of Part IV of MoRTH/ CMVR/TAP115/116 as amended from time to time.
In case of positive ignition engine, engine power shall be measured on engine dynamometer in accordance with the provisions of IS 14599:1999.".

5. In rule 138 of the principal rules in sub-rule (4), in clause (a), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that in case of L7, M1 and N1 categories of vehicles, use of temporary use spare wheel shall be permitted and the provision of ready to use spare wheel shall not be mandatory, if such vehicles are fitted with run flat tyres as standard.".

[No. RT-11028/09/2013-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secry.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i),vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number GSR 490(E) Dated 24.05.2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.06.05 10:43:45 +05'30'